संख्या- 78/2021 /585/71-1002(002)/5/2021

प्रेषक
एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में
महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 31 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन एवं अम्बेडकर नगर में विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/281, दिनॉक 18-32-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के मानक मद-01-वेतन में रू0 50.00 लाख की हो रही बचत को राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में मानक मद-40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा में रू0 20.00 तथा राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 10.00 लाख, मानक मद-43-सामग्री और सम्पूर्ति में रू0 20.00 लाख कुल रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) का पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020, 18.05.2020 तथा 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 *में कर लिया* जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-475/दस-2021, दिनॉक 31 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 78/2021/585 (1)/71-1-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन तथा अम्बेडकर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन तथा अम्बेडकर नगर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन तथा अम्बेडकर नगर।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6

प्रपत्र-9 (1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भंली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-83-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2020-21		प्रपत्र-बी0एम0-9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-					
05-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर-					
01-वेतन-	2808.27	115.00	~~115.00~~ 50.00	~~115.00~~ 50.00	~~2693.27~~ 2758.27
कुल योग-	**2808.27**	**115.00**	~~**115.00**~~ 50.00	~~**115.00**~~ 50.00	~~**2693.27**~~ 2758.27

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-					
02-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन-					
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा-	25.00	~~65.00~~ 45.00	~~40.00~~ 20.00	~~40.00~~ 20.00	~~65.00~~ 45.00
योग-	**25.00**	~~**65.00**~~ 45.00	~~**40.00**~~ 20.00	~~**40.00**~~ 20.00	~~**65.00**~~ 45.00
05-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर-					
42-अन्य व्यय-	35.00	~~60.00~~ 45.00	~~25.00~~ 10.00	~~25.00~~ 10.00	~~60.00~~ 45.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति-	140.00	~~190.00~~ 160.00	~~50.00~~ 20.00	~~50.00~~ 20.00	~~190.00~~ 160.00
योग-	**175.00**	~~**250.00**~~ 205.00	~~**75.00**~~ 30.00	~~**75.00**~~ 30.00	~~**250.00**~~ 205.00
कुल योग-	**200.00**	~~**315.00**~~ 250.00	~~**115.00**~~ 50.00	~~**115.00**~~ 50.00	~~**315.00**~~ 250.00

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में राजस्व पक्ष में मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 115.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन ने अपने पत्र संख्या-3116/रा0मे0का0/बजट/2021, दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मानक मद-40- औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा के अन्तर्गत रू0 ~~40.00~~ 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता एवं प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर ने अपने पत्र संख्या-लेखा/बजट/2020-21/2021/713, दिनांक-16 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या-लेखा/बजट/2020-21 /2021/714, दिनांक-16 मार्च, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कमशः मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 ~~25.00~~ 10.00 लाख, मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 ~~50.00~~ 20.00 लाख, कुल रू0 ~~75.00~~ 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता, इस प्रकार मेडिकल कालेज, जालौन एवं अम्बेडकरनगर हेतु कुल रू0 ~~115.00~~ 50.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है, जिस हेतु पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या-का1(क्र. 733/ई-3-1175/376/[illegible]/2021, [illegible] 31 [illegible]

सेवा में,
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या–78/2021/585 / 71–1002(002) / 5 / 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, जालौन तथा अम्बेडकर नगर।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव